

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 4/2019

रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

-वादी



सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

बनाम

01. श्रीकृष्ण पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
02. मुरलीधर दत्तक पुत्र बिशनलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली
03. मु० नर्मदा बेवा बिशनलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली
04. रामनाथ पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी सीसवाली
05. छीतरलाल } पुत्रगण नारायण जाति धाकड निवासी नयागांव नि० गुलाबपुरा तह० अंता
06. परसराम }
07. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी भूराखेडी तह० अंता जिला बारां
08. बंशीधर } पुत्रगण लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी मण्डोला तह० बारां
09. केसरीलाल }
10. लटूरी बाई बेवा चिताराम जाति धाकड निवासी खेराली तह० बारां
11. बिरधीबाई पत्नि नाथूलाल जाति धाकड निवासी सम्बलपुर तह० बारां
12. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर०टी०एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक:08.01.2019

निर्णय दिनांक : 09.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.05.2005 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादी रामकल्याण नागर पुत्र मथुरालाल सीसवाली खाता संख्या 741 ग्राम सीसवाली खसरा नं० 5560 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 5561 रकबा 0.04 है०, खसरा नं० 5562 रकबा 0.04 है०, खसरा नं० 5563 रकबा 0.12 है० कुल 0.30 है० एवं शेष प्रतिवादीगण के खसरा नं० 3009 रकबा 0.17 है०, खसरा नं० 5183 रकबा 1.49 है० कुल 1.66 है० पृथक-पृथक खाते किये जाने के आदेश दिय गये थे।

प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.05.2005 की अपील करने पर अपीलीय न्यायालय भू०प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2018 से अपील संख्या 249/2012 व 248/2012 अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की करके पुनः निर्णय करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गयी।

सहाय्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने पर दिनांक 08.01.2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी।
श्री दयाकृष्ण धाकड ने प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित होकर प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड
मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.05.2005 की पालना में
तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव क्रमांक/भू0अ0/2005/1362 दिनांक 27.04.2005
अनुसार खाते पृथक-पृथक किये जाने में सहमति प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत बंटवारा
प्रस्ताव क्रमांक/भू0अ0/2005/1362 दिनांक 27.04.2005 जो शामिल फाईल है के अनुसार:-

ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 788 में खसरा नं0 3009 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 5183 रकबा
1.49 है0, खसरा नं0 5560 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5561 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 5562 रकबा 0.04
है0, खसरा नं0 5563 रकबा 0.12 है0 कुल किता 6 रकबा 1.96 है0 खातेदार श्री किशनलाल, रामकल्याण
पुत्र मथुरा, रामनाथी, कस्तूरी पुत्री मथुरा हि0 5/6 हि0 बराबर मुरलीधर, फूलचंद, जगदीश प्रसाद,
प्रकाशचन्द्र पुत्र रामनाथ लाडबाई, संतोष बाई पुत्रीयां रामनाथ हि0 1/6 कौम धाकड सा0 देह दर्ज है।
खाता संख्या 789 में खसरा नं0 2588 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2590 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2592
रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2597 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2600 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2990
रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2991 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 2992 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 2993
रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2994 रकबा 0.07 है0 गौ मुचाल, खसरा नं0 2995 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0
3007 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3008 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 5297 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 5298
रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5299 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5443 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 5445
रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 5446 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 5447 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 5450
रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 5476 रकबा 3.16 है0, खसरा नं0 5477 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5478
रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5480 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 5481 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 5553
रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 5556 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 5557 रकबा 0.40 है0 कुल किता 29 रकबा
11.18 है0 खातेदार श्रीकृष्ण, किशनलाल, रामकल्याण पुत्र मथुरा व रामनाथी, कस्तूरी पुत्री मथुरा हि0 5/12
मुरलीधर, फूलचन्द, जगदीश प्रसाद, प्रकाश चन्द्र पुत्र रामनाथ लाडबाई, संतोष बाई पुत्रीयां रामनाथ हि0
1/12 नारान, गजानन्द पिता माधो हिस्सा 1/2 कोम धाकड सा0 देह खाते दर्ज है। श्रीमान के अनुसार
अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि की बंटवार स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश प्राप्त हुए
है। कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। मुताबिक मौका कब्जा निम्नानुसार है।

01. रामकल्याण पुत्र मथुरालाल धाकड सा0 सीसवाली का कब्जा ग्राम सीसवाली की आराजी
खसरा नं0 2588 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2590 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2592 रकबा 0.

18 है0, खसरा नं0 2597 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2600 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5447 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 5477 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 5480 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 5481 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 5553 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 5556 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 5557 रकबा 0.40 है0 खसरा नं0 5560 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5561 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 5562 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 5563 रकबा 0.12 है0 कुल किता 16 रकबा 3.15 है0।

02. श्री कृष्ण पुत्र मथुरालाल धाकड निवासी सीसवाली की काश्त में है। खसरा नं0 2993 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3007 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3008 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3009 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 5297 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 5298 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5299 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5443 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 5445 रकबा 0.24 है0 कुल किता 9 रकबा 1.97 है0 है।
03. मुरलीधर दत्तक पुत्र बिशनलाल नर्बदा बेवा बिशनलाल धाकड के कब्जे में है खसरा नं0 2995 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5183 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 5446 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 5478 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 रकबा 2.54 है0 है।
04. मृ0 रामनाथ के कायम मु0 पुत्रान मुरलीधर, फूलचंद, जगदीश प्रसाद, प्रकाशचन्द्र पुत्र रामनाथ लाडबाई, संतोष बाई पुत्रीयां रामनाथ के काश्त में है खसरा नं0 2990 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2991 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 2992 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 5450 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 5476 रकबा 3.16 है0 कुल किता 5 रकबा 5.41 है0 है।

इसके अतिरिक्त ग्राम सोनवां में भी उक्त खातेदारान के भूमि है श्रीकृष्ण के खाते में 2.02 है0 मु0 नर्बदा बेवा किशनलाल के खाते में 1.61 है0 श्री रामकल्याण 1.62 है0 भूमि पृथक-पृथक खाते दर्ज है।

पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, मनन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 09.01.2019 को फाईनल बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि बंटवारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 में अंकित रामकल्याण पुत्र मथुरालाल धाकड सा0 सीसवाली के कब्जे की आराजी पुर्व में ही पृथक से खाते दर्ज है एवं बिन्दु संख्या 2 में अंकित श्री कृष्ण पुत्र मथुरालाल धाकड निवासी सीसवाली के फौत हो जाने के कारण उसके वारिसान क्रमशः प्रभुलाल व बंशीलाल दर्ज किये जाये व बिन्दु संख्या 4 में अंकित मुरलीधर पुत्र रामनाथ बिशनलाल के दत्तक पुत्र रहा है अतः उसका नाम बंटवारा प्रस्ताव के बिन्दु सं 4 में दर्ज आराजी से हटाया जावे। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, बहस फाईनल व तहसीलदार मांगरोल

बटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार आराजी पृथक-पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये

01. प्रभुलाल, बंशीलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी सीसवाली को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं० 2993 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 3007 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 3008 रकबा 0.22 है०, खसरा नं० 3009 रकबा 0.17 है०, खसरा नं० 5297 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 5298 रकबा 0.12 है०, खसरा नं० 5299 रकबा 0.48 है०, खसरा नं० 5443 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 5445 रकबा 0.24 है० कुल किता 9 रकबा 1.97 है० का खातेदार घोषित किया जाता है।
02. मुरलीधर दत्तक पुत्र बिशनलाल नर्बदा बेवा बिशनलाल धाकड निवासी सीसवाली को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं० 2995 रकबा 0.31 है०, खसरा नं० 5183 रकबा 1.49 है०, खसरा नं० 5446 रकबा 0.67 है०, खसरा नं० 5478 रकबा 0.07 है० कुल किता 4 रकबा 2.54 है० का खातेदार घोषित किया जाता है।
03. मृ० रामनाथ के कायम मु० पुत्रान फूलचंद, जगदीश प्रसाद, प्रकाशचन्द्र पुत्र रामनाथ लाडबाई, संतोष बाई पुत्रीयां रामनाथ जाति धाकड निवासी सीसवाली को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं० 2990 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 2991 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 2992 रकबा 0.14 है०, खसरा नं० 5450 रकबा 1.85 है०, खसरा नं० 5476 रकबा 3.16 है० कुल किता 5 रकबा 5.41 है० का खातेदार घोषित किया जाता है।

तदनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन